	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 4, सोमवार, शाके 1928–अप्रेल 24, 2006 Vaisakha 4, Monday, Saka:1928–April 24, 2006	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 22, 2006

संख्या प. 2 (20) विधि/2/2006.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 20 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम सं. 11)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 20 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई)

राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रोन्नति और विकास के लिए और तत्प्रयोजन के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् गठित करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "पुस्तक" में सम्मिलित है –

(i) किसी भी भाषा में प्रत्येक जिल्द, किसी जिल्द का भाग या खण्ड और पैम्पलेट;

(ii) किसी भी रूप में पांडुलिपि;

(iii) संगीत, नक्शे, रेखाचित्र, चार्ट योजना का पृथक् रूप से मुद्रित या शिलामुद्रित प्रत्येक पत्र;

(iv) श्रव्य–दृश्य जानकारी के लिए समाचारपत्र, नियतकालिक पत्रिकाएं, रंगचित्र, पोस्टर, फोटो, फोटो प्रतिकृति; ग्रामोफोन रिकॉर्ड, श्रव्य–दृश्य टेप, फ्लोपी, काम्पैक्ट डिस्क, स्लाइड, सूक्ष्मफिल्म और फिल्म पटकथाएं और ऐसी अन्य सामग्रियां;

(v) किसी भी रूप में कम्प्यूटर आउटपुट और कम्प्यूटर कार्यक्रम;

(ख) "पुस्तक जमा केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जहां पुस्तकें जमा की जाती हैं और जनता के सदस्य पुस्तकें उधार ले सकते हैं;

(ग) "पुस्तक सेवा केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जहां पुस्तकालय के सदस्य चल पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकें उधार ले सकते हैं;

(घ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक" से सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक अभिप्रेत है;

(छ) "जिला" से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन गठित कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ज) "खण्ड" से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन गठित कोई राजस्व खण्ड अभिप्रेत है;

(झ) "विस्तारी सेवा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और प्रोन्नति और समुदाय के बौद्धिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक स्वरूप को प्रोत्साहित करने से संबंधित क्रियाकलाप;

(ञ) "पुस्तकालय" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है पुस्तकों का संग्रहण, पुस्तक जमा केन्द्र या पुस्तकालय सेवा या विस्तारी सेवा देने वाला पुस्तक सेवा केन्द्र;

(ट) "पुस्तकालय सेवा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है पठन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पुस्तकालय के सदस्यों को पुस्तकें उधार देना और पुस्तकें और सुसंगत जानकारी उपाप्त करने में पाठकों की सहायता करना;

(ठ) "स्थानीय प्राधिकारी" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के उपबंधों के अधीन गठित कोई नगरपालिका या राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के उपबंधों के अधीन गठित कोई पंचायतीराज संस्था अभिप्रेत है;

(ड) "पुस्तकालय सदस्य" से पुस्तकालय का रजिस्ट्रीकृत सदस्य अभिप्रेत है;

(ढ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) "सार्वजनिक पुस्तकालय" से अभिप्रेत है –

(i) राज्य की पुस्तकालय पद्धति के अन्तर्गत कोई पुस्तकालय;

(ii) निदेशक द्वारा धारा 18 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई पुस्तकालय; और

(iii) ऐसा कोई अन्य पुस्तकालय जिसे राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय होना घोषित करे;

(त) "पंचायत समिति" से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के उपबंधों के अधीन गठित कोई पंचायत समिति अभिप्रेत है;

(थ) "सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति" से ऊपरी स्तर पर राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और निचले स्तर पर ग्राम पुस्तकालय के साथ राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का संगठन अभिप्रेत है;

(द) "सार्वजनिक पुस्तकालय संगम" से धारा 19 के अधीन मान्यताप्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय संगम अभिप्रेत है;

(ध) "नियम" या "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम या विनियम अभिप्रेत हैं;

(न) "वर्ष" से 1 अप्रेल को प्रारंभ होने वाली और ठीक अगली 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि अभिप्रेत है।

अध्याय 2

राज्य पुस्तकालय परिषद्

3. राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख से, जो

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, एक परिषद् का गठन करेगी जिसका नाम राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद् होगा।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) पदेन सदस्य–

(i) पुस्तकालयों का प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष;

(ii) पुस्तकालयों के लिए उत्तरदायी शासन सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) शासन सचिव, वित्त विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(iv) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा;

(v) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा;

(vi) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा;

(vii) निदेशक, पंचायतीराज;

(viii) निदेशक, स्थानीय स्वशासन;

(ix) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान;

(x) सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड;

(xi) पुस्तकालयाध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय;

(xii) निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय – सदस्य सचिव;

(ख) नामनिर्देशित सदस्य–

(i) अध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों में विशेषज्ञीय ज्ञान और रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्देशित तीन सदस्य जिनमें से एक महिला होनी चाहिए;

(ii) जिला पुस्तकालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक पुस्तकालयाध्यक्ष;

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित दो विख्यात विद्वान;

(iv) राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित राजस्थान विधान सभा के दो सदस्य।

(3) परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

4. परिषद् का मुख्यालय.—परिषद् का मुख्यालय जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

5. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.— परिषद् की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम और नियमों के प्रशासन से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में उसे किये गये निर्देश पर या स्वप्रेरणा से राज्य सरकार को सलाह देना;

(ii) राज्य पुस्तकालय विकास निधि में से व्यय का नियमों के अनुसार अनुमोदन करना;

(iii) पुस्तकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किये जाने वाले अध्युपायों के निदेश देना और समुदाय में पढ़ने की आदत पैदा करना;

(iv) सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यकरण, प्रशासन और प्रगति पर धारा 22 के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर सुझाव देना और सिफारिशें करना;

(v) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों के कार्यकरण और प्रशासन का क्रमशः धारा 20 और 21 के अधीन की गयी रिपोर्टों और निरीक्षणों के आधार पर समय-समय पर

पुनर्विलोकन करना और लोक शिक्षा और पुस्तकालय सेवा के अधिक उपयोगी और प्रभावकारी उपकरण होने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के अर्थोपायों का सुझाव देना;

(vi) सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासन में सुधार के लिए किये जाने वाले अध्युपायों के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिशें करना;

(vii) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों को सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए पात्रता हेतु मानदण्ड के रूप में सम्पादन के मानकों और स्तरमानों का सुझाव देना;

(viii) सहायता अनुदान की मात्रा नियत करने के फार्मूले का सुझाव देना;

(ix) सहायता अनुदान से भिन्न वित्तीय सहायता के लिए उद्देश्यों और प्रयोजनों और ऐसी सहायता के लिए पूरे किये जाने वाले निबंधनों और शर्तों के विषय में राज्य सरकार को सलाह देना;

(x) पुस्तकालयों के लिए वार्षिक विकास योजना के लिए सुझाव देना और सिफारिशें करना;

(xi) पुस्तकालय संगोष्ठी, सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन और संचालन करना;

(xii) पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समेकित कार्यक्रम तैयार करना;

(xiii) राज्य में दक्ष पुस्तकालय सेवा के आयोजन और प्रोन्नति के लिए सुझाव देना;

(xiv) आर्थिक संसाधन जुटाने और पुस्तकालय सेवा की प्रोन्नति के लिए सुझाव देना;

(xv) राज्य में पुस्तकालय सेवा में सुधार के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार करना;

(xvi) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या न्यस्त किये जायें।

6. सदस्यों की पदावधि.– (1) परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा।

(2) जब कोई सदस्य वह पद धारण करना बंद कर दे जिसके आधार पर वह इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया था तो वह परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

7. रिक्ति का भरा जाना.– यदि परिषद् के किसी नामनिर्देशित सदस्य के पद की कोई रिक्ति मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा होती है तो उसे यथासंभव शीघ्र भरा जायेगा।

8. परिषद् की बैठकें.– (1) परिषद् की बैठकें ऐसी तारीख को ऐसे समय और स्थानों पर होंगी और अपनी बैठक (ऐसी बैठक की गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए) में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रकिया

नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें :–

परन्तु परिषद् एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी किन्तु दो क्रमवर्ती बैठकों के बीच छह मास से अधिक का अन्तर नहीं होगा।

(2) परिषद का अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, परिषद् की बैठक बुला सकेगा और परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अपश्चात् की तारीख को परिषद की विशेष बैठक बुलायेगा :

परन्तु परिषद् की अंतिम बैठक की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर किसी विशेष बैठक की मांग नहीं की जायेगी।

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई भी सदस्य, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

9. समितियों का गठन.–परिषद्, ऐसे कृत्यों के पालन के लिए, जो विनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें, परिषद् के इतने सदस्यों से मिलकर बनने वाली इतनी समितियों का गठन कर सकेगी जितनी विनियमों द्वारा उपबंधित की जायें।

10. परिषद् के सदस्यों को भत्तों का संदाय.–परिषद् या उसकी समितियों के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे भत्ते और ऐसी दर पर संदत्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।

अध्याय 3

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

11. सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक.–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भाषा और पुस्तकालयों का विद्यमान निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा।

12. निदेशक के कृत्य.--(1) राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निदेशक इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) विशिष्टतया और उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक--

(क) सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित समस्त विषयों का पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और विकास को प्रोन्नत करेगा;

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों की योजना, रख-रखाव, प्रोन्नयन और विकास और सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति के संगठन के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यकमों का संचालन करने वाली संस्था या सेवा को मान्यता देगा और सार्वजनिक पुस्तकालयों के कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यकमों का आयोजन करेगा;

(ङ) मान्यताप्राप्त पुस्तकालयों का रजिस्टर रखेगा और ऐसे पुस्तकालयों के नाम और पतों का प्रकाशन करेगा;

(च) राज्य पुस्तकालय विकास निधि के लेखाओं का प्रबंध और संधारण करेगा और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालयों में शिक्षाप्रद पुरानी और दुष्प्राप्य पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अन्य दस्तावेजों के संग्रहण और संरक्षण के लिए व्यवस्था करेगा;

(ज) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों का निरीक्षण करेगा और उन्हें सलाहकार सेवा देगा;

(झ) परिषद् की ऐसी सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों;

(ञ) सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों और मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता के लिए स्कीमों और नियमों तथा विनियमों का प्रशासन करेगा और इस निमित्त समय-समय पर बनायी गयी स्कीमों, नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे सहायता अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित करेगा;

(ट) धारा 22 के अधीन यथाअपेक्षित रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करेगा;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम और नियमों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

अध्याय 4

सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति

13. सार्वजनिक पुस्तकालयों का स्थापन और प्रबंध.—(1) राज्य सरकार, राज्य के लिए राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और खण्ड के लिए खण्ड पुस्तकालय, जिले के लिए जिला पुस्तकालय, पंचायत समिति के लिए पंचायत समिति पुस्तकालय और ऐसे अन्य ग्रामीण पुस्तकालय, जो वह आवश्यक समझे, स्थापित और संधारित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक पुस्तकालय निदेशक द्वारा प्रबंधित, संचालित और विकसित किया जायेगा।

14. पुस्तकालय सलाहकार समितियों का गठन.–(1) प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक पुस्तकालय सलाहकार समिति गठित की जायेगी।

(2) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, खण्ड पुस्तकालय और ज़िला पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जायेगी।

(3) उप–धारा (2) में उल्लिखित पुस्तकालयों से भिन्न पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति निदेशक द्वारा गठित की जायेगी।

(4) पुस्तकालय सलाहकार समितियों का संविधान और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय 5

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्त

15. सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए बजट.–(1) निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय के लिए योजना और गैर–योजना व्यय के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) निदेशक, इस प्रकार मंजूर किये गये अनुदान को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय के चुकाने में उपयोग करेगा, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए;

(ख) राज्य में नये पुस्तकालय स्थापित करने के लिए;

(ग) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का रख–रखाव और विकास करने के लिए;

(घ) सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों को सहायता-अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता का संदाय करने में;

(ङ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें।

16. राज्य पुस्तकालय विकास निधि.—(1) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए एक निधि होगी जिसका नाम राज्य पुस्तकालय विकास निधि होगा।

(2) राज्य पुस्तकालय विकास निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगा:—

(क) धारा 15 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुदान से भिन्न राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई भी अंशदान या विशेष अनुदान;

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए जनता या अन्य किसी भी एजेंसी द्वारा किये गये अंशदानों या दिये गये दानों के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां।

(3) राज्य पुस्तकालय विकास निधि के धन का उपयोग निदेशक द्वारा, परिषद् के परामर्श से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यय के चुकाने में किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और विकास;

(ख) धारा 10 के अधीन परिषद् के सदस्यों को भत्तों का संदाय;

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किये जायें।

17. सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रयोजन के लिए धारित संपत्ति का निहित होना.— राज्य द्वारा स्थापित और संधारित किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रयोजन के लिए धारित या अर्जित समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

अध्याय 6

सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों की मान्यता

18. सार्वजनिक पुस्तकालयों की मान्यता.—निदेशक, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी स्वैच्छिक एजेंसी द्वारा चलाये जा रहे ऐसे किसी भी पुस्तकालय को या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे ऐसे किसी भी पुस्तकालय को, जो जनता के उपयोग के लिए खुला हो, उसे सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजन के लिए नियमों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त किये गये किन्हीं भी साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में मान्यता दे सकेगा।

19. सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों की मान्यता.—निदेशक, राज्य में पुस्तकालय क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, या तो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य के किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय संगम को, नियमों के अनुसार उसे सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजन के लिए, मान्यता दे सकेगा।

अध्याय 7

रिपोर्टें और निरीक्षण

20. रिपोर्टें और विवरणियां.—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंध का प्रभारी है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सार्वजनिक पुस्तकालय संगम का प्रभारी है, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को, ऐसी रिपोर्टें और विवरणि प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचनाएं देगा जिनकी निदेशक द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

21. सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों का निरीक्षण.—निदेशक, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों या उनसे जुड़ी हुई किसी भी संस्था या पुस्तकालय सेवा तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी भी संस्था का, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन से निरीक्षण करने की शक्ति होगी कि इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन किया जाता है।

22. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.—निदेशक, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर, ऐसी जानकारी और विशिष्टियों सहित जो विहित की जायें, उस वर्ष में सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों के कार्यकरण और प्रशासन और उनके द्वारा की गयी प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

23. परिषद् के सदस्य का लोक सेवक होना.—परिषद् के समस्त सदस्य, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के

उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते या तात्पर्यित कार्य करते समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों और विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए परिषद् या किसी भी सदस्य और अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

25. परिषद् के कार्यों और कार्यवाहियों के विधिमान्य होने की उपधारणा.—परिषद् या उसकी किन्हीं भी समितियों का कोई भी कार्य या कार्यवाही—

(क) उसमें किसी भी रिक्ति या उसके गठन में किसी भी त्रुटि; या

(ख) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली उसकी प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता;

के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

26. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन अनुपालित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य;

(ख) राज्य पुस्तकालय विकास निधि में से धारा 5 के खण्ड (ii) के

अधीन अनुमोदित किया जाने वाला व्यय;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य जिनका परिषद् द्वारा धारा 5 के खण्ड (xvi) के अधीन प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(घ) परिषद् और उसकी समितियों के सदस्यों को संदेय ऐसे भत्ते और ऐसी दरें जिन पर वे धारा 10 के अधीन संदेय होंगे;

(ङ) निदेशक द्वारा धारा 12 की उप–धारा (2) के खण्ड (ठ) के अधीन प्रयोग में लायी जाने वाली अन्य शक्तियां और पालित किये जाने वाले अन्य कृत्य और कर्तव्य;

(च) धारा 14 के अधीन गठित की जाने वाली पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य;

(छ) अन्य प्रयोजन जिनके लिए मंजूर अनुदान का उपयोग धारा 15 की उप–धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन किया जा सकेगा;

(ज) अन्य प्रयोजन जिनके लिए राज्य पुस्तकालय विकास निधि का उपयोग धारा 16 की उप–धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन किया जा सकेगा;

(झ) सार्वजनिक पुस्तकालयों की मान्यता के लिए धारा 18 के अधीन नियम;

(ञ) सार्वजनिक पुस्तकालय संगमों की मान्यता के लिए धारा 19 के अधीन नियम;

(ट) वार्षिक रिपोर्ट में धारा 22 के अधीन सम्मिलित की जाने वाली जानकारी और विशिष्टियां;

(ठ) कोई भी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना हो या किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो

सकेगी, रखे जायेंगे और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

27. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह समय जब, वह तारीख जिसको और वह स्थान जहां पर परिषद् की बैठक होगी और प्रकिया के नियम जिनका परिषद् धारा 8 की उप– धारा (1) के अधीन उसकी बैठक में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में पालन करेगी;

(ख) समितियां जिनका गठन परिषद् कर सकेगी, सदस्यों की संख्या, जिनसे मिलकर समिति गठित हो सकेगी और वे कृत्य जिनका पालन ऐसी समिति द्वारा धारा 9 के अधीन किया जा सकेगा।

गुमान सिंह,
शासन सचिव।